कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 13981/2016 श्री दिनेश दाधिच, प्रधानाध्यापक बनाम् सरकार में माननीय् न्यायालय जोधपुर के स्थगन–आदेश दिनांक 11.11.2016 के द्वारा विभागीय स्थानान्तरण सम्बधी आदेश दिनांक 20–10–2016 का क्रियान्वयन, अपीलार्थी (श्री दिनेश दाधिच) के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाने के कारण याचिका **में दिए जाने वाले आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन** श्री दिनेश दाधिच प्रधानाध्यापक रामावि कोतवाली, जोधपुर में एवं श्रीमती ज्योति भाटी प्रधानाध्यापिका रामावि अभयगढ–शेरगढ जोधपुर में **कार्यरत रहने सम्बधी आदेश दिनांक 12.04..2017** विभाग द्वारा जारी किया गया था।

चूँकि श्री दिनेश दाधिच का प्रधानाचार्य डी.पी.सी. 2017–18 में चयन उपरान्त काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापन रा.उ.मा.वि बोडनी खुर्द बाउरी जिला जोधपुर में हो चुका है।

अतः वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत विभागीय आदेश दिनांक 12–04–2017 को एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है तथा मूल स्थानान्तरण सम्बधी आदेश दिनांक 20–10–2016 की स्थिति को पुर्नस्थापित किया जाकर सम्बधित को आदेशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20–10–2016 के अनुसार तत्काल कार्यग्रहण कर, अनुपालना से अवगत करावें। सभी सम्बधित सूचित हों। .

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/संस्था/बी–I/याचिका–13981/दिनेश दाधिच/2016 दिनांक 21/7/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज. जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट कम संयुक्त निदेशक,कार्यालय हाजा को ईमेल हेतु ।
3. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I/II) को पाबन्द किया जाता है कि उक्त आदेश के क्रियान्वयन की कार्यवाही करा अवगत करावें ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक विधि) जयपुर को पाबन्द किया जाता है कि उक्त प्रकरण में प्रभावी प्रतिरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित शिक्षा–अधिकारी को पालनार्थ।
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डी.पी.सी./2017–18/2017 दिनांक 13.7.17 से 16.7.17 द्वारा प्रधानाचार्य एवं समकक्ष के पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन आदेश प्रसारित किये गये थे, विभाग द्वारा जारी उक्त आदेशों में 24.07.17 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

प्रधानाचार्य–उमावि की कार्यभार ग्रहण किये जाने की अवधि में अभिवृद्धि चाहे जाने सम्बधी प्रार्थना पत्रों के आधार पर निम्नांकित **प्रधानाचार्य–उमावि को नवपदोन्नत स्थान पर कार्यग्रहण किये जाने की अवधि में** (कॉलम संख्या–04 में अंकितानुसार) निम्नानुसार **अभिवृद्धि सम्बधी स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है** :–

क्रसं	**नाम कार्मिक (सर्व श्री...)**	**पदोन्नति पर पदस्थापन**	**कार्यग्रहण अभिवृद्धि (दिनांक..... तक)**
1	**2**	**3**	**4**
01	श्री मुकेश कुमार प्रधानाध्यापक राआमावि ढण्डेला, नोहर जिला हनुमानगढ	राउमावि मणियाना–पोकरण जिला जैसलमेर	**08.08.17 तक (15 दिवस)**
02	श्री प्रदीप कुमार शर्मा प्रधानाध्यापक रामावि फरासिया जिला अजमेर	राउमावि जुडा जिला उदयपुर	**08.08.17 तक (15 दिवस)**

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/बी–1 2/प्रधानाचार्य–प्र.अ./कार्यग्रहण अभिवृद्धि/2017 दिनांक 21.07.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 सम्बधित शिक्षा उपनिदेशक,माध्यमिक शिक्षा।
2 सम्बधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
3 सम्बधित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य, राउमावि को पालनार्थ।
4. संबंधित शिक्षा अधिकारी।
5 निजी/ रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर